



जनपद हमीरपुर

कोतवाली राठ

दिनांक 31.05.2026

थाना कोतवाली राठ पुलिस द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1312/2023, धारा 135 विद्युत अधिनियम व सत्र परीक्षण संख्या 336/2024, धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित 02 वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही :

थाना कोतवाली राठ पुलिस टीम द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु) अधिनियम, जनपद न्यायालय हमीरपुर द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंटों के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सत्र परीक्षण संख्या 1312/2023, धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना एपीटी हमीरपुर, मु0अ0सं0 878/2020 से संबंधित वारंटी



राजेश कुमार पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम अमगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में सत्र परीक्षण संख्या 336/2024, धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम, थाना एपीटी हमीरपुर, मु0अ0सं0 169/2021 से संबंधित वारंटी सुरेन्द्र पुत्र हरीबाबू, निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर को भी उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया।

दोनों वारंटियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजेश कुमार पुत्र किशनलाल उर्फ किशोरीलाल (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम अमगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

2. सुरेन्द्र पुत्र हरीबाबू (उम्र करीब 61 वर्ष) निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

भिन्न-भिन्न ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवमणि मिश्रा

का0 मनोज शर्मा